

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/216

रीवा दिनांक : 1-4-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर डिग्री कालेज

सतना (म.प्र.)

विषय - अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024-2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-12-2024 के आइटम क्रमांक 3(06) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है -

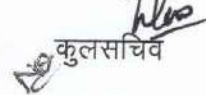
क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र-30सीट।
2	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष समस्त अनिवार्य विषय-30सीट।
3	बी.काम. प्रथम, द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर एप्लीकेशन-30सीट।
4	बी.एससी. प्रथम वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, कमेस्ट्री, कम्प्यूटर, मैथमेटिक्स, जुलाजी-प्रतिसमूह 30सीट।
5	एम.ए. पूर्वाह्न अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र-35सीट प्रति विषय।
6	एम.काम. पूर्वाह्न कम्प्यूटर-60सीट।
7	एम.एस.डब्लू. पूर्वाह्न सोसल वर्क-60सीट।
8	पी.जी.डी.सी.ए.-80सीट।

नोट -

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. विज्ञान प्रयोगशालाओं को अलग-अलग बनायें।
3. अध्ययन कक्षाओं की संख्या बढ़ायें।
4. क्रीडांगन व क्रीड़ा सामग्री की व्यवस्था करें।
5. पुस्तकों की संख्या NEP के तहत बढ़ायें।

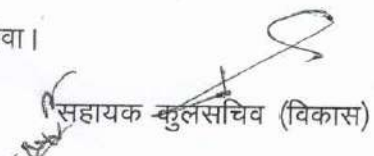
उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025-2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)